राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1254/2016..... जिला .....जयपुर.....
उनवान :मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.,जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जोन–तृतीय,जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/06/2016	**खण्डपीठ** **श्री ओ.पी.सैनी,अध्यक्ष** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री मुजफ्फर इकबाल, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी द्वारा कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश 02.06.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जोन–तृतीय जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.05.2016 को पारित कर, अन्तर कर रू. 18,35,771/–, शास्ति रू. 36,71,542/– एवं ब्याज रू. 2,20,293/– कुल रू. 57,27,606/– की मांग सृजित की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित मांग राशि रू 57,27,606/– के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 36,71,542/–की वसूली को स्थगित करते हुए शेष कर एवं ब्याज कुल राशि रू. 20,56,064/– पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त राशि रू. 20,56,064/–की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पॉवर बैक (एक्सटेन्डेड बैटरी) एवं मोबाइल फोन बैटरी की बिक्री पर कर दर का प्रश्न निहित है। बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार करने के पश्चात, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में	

स्थगन हेतु शेष रही विवादित राशि रू. 20,56,064/– का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10,28,032/–जमा कराने की शर्त पर, रू. 10,28,032/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष